मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.) के माध्यम से जिला कलैक्टरों की एक बैठक ली। जिसमें बजट घोषणा के विकास कार्यों के लिए भू-आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

'दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर शीघ्र सुधारें'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कलेक्टरों को वी.सी. से भू आवंटन प्रकरण 31 दिसम्बर तक निपटाने के निर्देश दिये

■ **वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सभी जिला कलैक्टरों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि राइज़िंग राजस्थान समिट में हुए एम.ओ.यू. को धरातल पर उतारने के लिये संबंधित विभागों के साथ समन्वय बना कर काम करें।**

जयपुर, 21 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सड़कों के दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाना आवश्यक है। सभी जिलों में ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन किया जाए। साथ ही, सभी जिलों में परिवहन विभाग के उड़नदस्ते, अनफिट एवं बिना परमिट के वाहनों तथा ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ सघन कार्रवाई करें। इसके अलावा, यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जागरूकता अभियान भी चलाया जाए।

मुख्यमंत्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.) के माध्यम से जिला कलैक्टरों के साथ आयोजित बैठक में लंबित भू-आवंटन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बजट घोषणा की अनुपालना में स्पोर्ट्स कॉलेज, रोडवेज बस स्टैण्ड, जीएसएस एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट एवं मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर, औद्योगिक पार्क इत्यादि विकास कार्यों के लिए भू-आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत, ब्लॉक कार्यालय एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नवीन सहायक अभियंता कार्यालय के लिए भू-आंवटन की भी समीक्षा की।

शर्मा ने कहा कि बजट घोषणा की अनुपालना में जयपुर में विकसित की जाने वाली हाईटेक सिटी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस संबंध में उद्योग विभाग, राजस्व विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही की जाए। इसके तहत, विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी, पानी-बिजली सहित आधारभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित, विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव उपस्थित रहे एवं समस्त जिला कलैक्टर्स वीसी के माध्यम से जुड़े।

मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं से संबंधित भू-आवंटन के शेष प्रकरणों का त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने 31 दिसम्बर तक की अवधि में प्रकरणों के भूमि चिन्हीकरण तथा चिन्हित भूमि के प्रस्ताव संबंधित विभाग को भिजवाने एवं भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

'24 दिसम्बर को देश भर में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आगे वाले कार्यकर्ता बाबा साहेब की बड़ी तस्वीर लिये हुय होंगे तथा अन्य कार्यकर्ताओं के हाथों में बड़ी-बड़ी तख्तियाँ होंगी, जिन पर पार्टी की माँगें अंकित होंगी। उन्होंने कहा, "26-27 दिसम्बर को, हम "एक्सटेन्डेड सी.डब्ल्यू.सी. सैशन तथा बेलागवी में एक विशाल रैली आयोजित करेंगे, जहाँ हम डॉ. अम्बेडकर तथा उनके आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायेंगे।"

इस सम्बंध में, सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को जारी किये गये एक सर्कुलर में, वेणुगोपाल ने लिखा, "इन सभी कार्यों का उद्देश्य डॉ. अम्बेडकर की विरासत की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दृढ़तापूर्वक दोहराना है, जो राष्ट्र के न्याय एवं समानता के प्रकाश स्तम्भ हैं। आपसे अनुरोध है कि इन सभी गतिविधियों का प्रभावी तरीके से समन्वय करें तथा पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अनुरोध है कि वे आयोजित मार्च की विस्तृत रिपोर्ट पेश करें।" उल्लेखनीय है कि संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगाँठ मनाने के लिये राज्यसभा में हुई एक बहस में जवाब देते हुये, शाह ने मंगलवार को कांग्रेस पर प्रहार करते हुये कहा था, "अम्बेडकर अम्बेडकर कहने का फैशन हो गया है। अगर उन्होंने इतनी बार भगवान का नाम लिया होता, तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिल गई होती।"

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बाबासाहेब अम्बेडकर पर शाह की टिप्पणी को लेकर, शाह के खिलाफ पहले ही विरोध जता चुकी हैं। इस बयान के संबंध में, विपक्ष ने संसद से सड़क तक जबरदस्त प्रदर्शन किया था। लेकिन, बाद में अमित शाह ने कहा था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है।

'भाजपा का बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा से कोई मतलब नहीं'

सचिन पायलट ने बहरोड़ के पास किसान सम्मेलन में भंवर जितेन्द्र व जूली के साथ भाग लिया

■ **बहरोड़ के गांव पहाड़ी में शुक्ला की ढाणी में स्वर्गीय बीरबल बोहरा व स्वर्गीय छिमली देवी की मूर्ति का अनावरण हुआ। साथ ही स्कूल में बरामदा का उद्घाटन समारोह भी हुआ।**

बहरोड़, 21 दिसम्बर। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि गृहमंत्री ने अभी जो संसद भवन में भाषण दिया था, उनके पेट की बात मुंह पर आ गई। पायलट ने जनता से कहा कि बनाने वाले भी आप हो, गिराने वाले भी आप हो।

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बहरोड़ के गांव पहाड़ी की शुक्ल की ढाणी में किसान सम्मेलन में उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी विधायक छाती पीट रहे हैं। सुनने वाला कोई नहीं है। चार-पांच घंटे बिजली आती है और बात करते हैं चार लाख रोजगार देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, 10 साल से आप देश में सरकार चला रहे हो, 12 महीने आपको हो गए। कितने बच्चों को नौकरी दे पाए हैं। आप पूछो, कभी फलां मस्जिद को खोदते हैं, उससे मन्दिर निकल जाएगा। भाजपा दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए, मंदिर- मस्जिद, हिंदू- मुसलमान, हिंदुस्तान- पाकिस्तान, यहीं तक सीमित है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा से कोई मतलब नहीं है।

पायलट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मंच से कहा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। आज राजस्थान में विपक्ष में हैं हम लोग। मोदी, अमित शाह दिल्ली से और यहां भजनलाल जी, वसुंधरा जी, सब कोई ताकत लगा रहे हैं। इन लोगों को अगर खिसकाना है 4 साल बाद, तो हम लोगों को मिलकर बहुत घूमना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देनी पड़ेगी। वे देखते हैं, जब नेता ही भागदौड़ नहीं कर रहे, तो हम क्यों करें। आप और हम मिलकर पूरे प्रदेश में जाकर कार्यकर्ताओं को ताकत दें, हिम्मत बंधाएं।

शनिवार को बहरोड़ के पहाड़ी, शुक्ला की ढाणी में स्वर्गीय बीरबल बोहरा एवं स्वर्गीय छिमली देवी की मूर्ति के अनावरण समारोह तथा स्कूल में कमरा -बरामदा उद्घाटन एवं किसान सम्मेलन में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि माता-पिता की प्रतिमा लगाना बच्चों का सौभाग्य है,आज के युग में जहां भाई-भाई का दुश्मन हो रहा है, ऐसे समय में ऐसे नेक कार्य समाज को नया संदेश देने और संस्कारों को जिंदा रखने तथा आने वाले पीढ़ियों को सिखाने का काम करेंगे।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जनसमूह को संबोधित करते हुए बोले, उन्होंने रातोंरात तीन काले कानून बनाकर देश के किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया लेकिन अन्नदाता की आवाज और अपने अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई ने देश की राजधानी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया और सरकार को घुटने के बल ला दिया।

उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीब और काश्तकारों को बांटने के लिए बनी है, इस सरकार को अडानी और अंबानी चला रहे हैं। देश के पीएम हाथ जोडक़र उनके सामने खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि आज किसान को खाद -बीज नहीं मिल रहा, यह सरकार किसान का खून पीना चाहती है। उन्होंने स्वर्गीय राजेश पायलट को याद करते हुए कहा कि किसानों की लड़ाई में उनकी भूमिका को सदैव याद किया जाएगा।

इस अवसर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, विधायक ललित यादव, कांति प्रसाद मीणा, मांगीलाल मीणा, अजीत यादव, संजय यादव, आर्यन जुबेर खान, इमरान खान, रामफल गुर्जर, संजीव बारेठ, हरिशंकर रावत, विश्राम गुर्जर,बलराम यादव, गफूर खान,रोहिताश चौधरी सहित, गणमान्य लोग उपस्थित थे।

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बहरोड़ के गांव पहाड़ी की शुक्ल की ढ ाणी में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भाजपा ध्यान भटकाने के लिए, मंदिर- मस्जिद, हिंदू- मुसलमान, हिंदुस्तान- पाकिस्तान की बात करती है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा से कोई मतलब नहीं है।

'वाहनों के अवधि पार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत, वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि बीतने के बाद नवीनीकरण करने पर प्रतिदिन पचास रुपए की अतिरिक्त फीस वसूलने का प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान मोटर अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है, क्योंकि अधिनियम में पेनल्टी का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सरकार अतिरिक्त फीस के नाम पर पेनल्टी वसूल रही है।

अधिनियम के तहत शुल्क लगाया जा सकता है, लेकिन फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में देरी के आधार पर अतिरिक्त फीस नहीं वसूली जा सकती। ऐसे में इस प्रावधान को रद्द किया जाए। इसका विरोध करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी व राज्य सरकार की ओर से एसएस नरुका ने कहा कि अधिनियम के तहत उन्हें फिटनेस, लाइसेंस और परमिट आदि के लिए शुल्क लगाने की शक्ति है।

अवधि पार परमिट के नवीनीकरण के लिए वसूला गया अतिरिक्त शुल्क, शुल्क संरचना का ही हिस्सा है। अधिनियम के तहत पूरी तरह से फिट वाहन ही रोड पर चल सकते हैं। ऐसे में सरकार को अतिरिक्त लेवी लगाने का अधिकार है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अवधि पार प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के लिए प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त फीस वसूलने को अवैध माना है।

ई.डी. को केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिली

■ **दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी।**

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुसीबत में फंसने वाले हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से दी गई है।

5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। अब जाकर उपराज्यपाल ने ईडी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की हरी झंडी दे दी है। केजरीवाल पर यह एक्शन अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही लिया गया है।

इस बीच, दिल्ली होई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। याचिका में दिल्ली आबकारी शराब नीति मामले में आरोपपत्रों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया था कि इस घोटाले में 6 प्रतिशत रिश्वत के बदले में निजी संस्थाओं को 12 प्रतिशत मार्जिन के साथ थोक शराब वितरण अधिकार दिए गए। इसके अतिरिक्त,आप नेताओं पर 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था।

फडणवीस ने गृह विभाग अपने पास ही रखा

■ **महाराष्ट्र में विभाग बांटे, अजित को वित्त व शिंदे को शहरी विकास विभाग मिला।**

मुंबई, 21 दिसंबर। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह, ऊर्जा और कानून विभाग अपने पास रखा है, जबकि अजित पवार को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग सौंपा गया है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक निर्माण जैसे तीन मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, गृह विभाग उन्हें नहीं दिया गया, जिसे वह कथित तौर पर चाह रहे थे।

संसद में धक्का-मुक्की पर 7 सदस्यीय एस.आई.टी. का गठन

■ **इस प्रकरण में भाजपा के दो सांसद घायल हो गये थे। मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। क्राइम ब्रांच ने जाँच के लिये 7 सदस्यों की एस.आई.टी. का गठन किया।**

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। संसद में हुए धक्का-मुक्की मामले की जांच अब गति पकड़ने लगी है। इस मामले को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसकी जांच अब क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित आई.एस.सी. यूनिट करेगी।

यह मामला संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्कामुक्की का है जिसमें बीजेपी के दो सांसद, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। दोनों का इलाज आरएमएल अस्पताल में चल रहा है।

ऐसे में मामले की संजीदगी और गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार रात क्राइम ब्रांच की एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है।

क्राइम ब्रांच की इस एसआईटी की टीम में 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर होंगे शामिल जो सीधे डीसीपी को रिपोर्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच में 2 एसीपी को एसआईटी में इसलिए शामिल किया गया है कि क्योंकि मामला पोलिटिकली हाई प्रोफाइल है।

अमूमन देखा गया है कि पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल मामले हमेशा दिल्ली पुलिस की आई.एस.सी. क्राइम ब्रांच यूनिट को ही जांच के लिए ट्रांसफर किया जाता है। सूत्रों के अनुसार, पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सीसीटीवी फुटेज के लिए लेटर लिखा जाएगा, क्योंकि, घटना से जुड़ी जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज काफ़ी मायने रखती है।

एल.पी.जी. टैंकर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथा उन सभी पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को पर्याप्त मुआवजा राशि दी जाए, जिनके वाहन व संपत्ति का इस अग्निकांड में नुकसान हुआ है। अदालत ने पूछा है कि ब्लैक स्पॉट एवं खतरनाक यू-टर्न की पहचान और हाईवे पर इन खतरों के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने के लिए क्या किया जा रहा है, ताकि मानव जीवन व सभी जीवों की सुरक्षा की जा सके। अदालत ने कहा कि यदि सरकार सड़क सुरक्षा के लिए उचित सावधानी बरतती तो ऐसी घटना से बचा जा सकता था। हर साल हजारों लोग सडक़ों, यू-टर्न और ब्लैक स्पॉट को पार करते समय मर जाते हैं। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष महेन्द्र शांडिल्य, राज्य के महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, एएसजी आरडी रस्तोगी व अधिवक्ता संदीप पाठक को भी सहयोग करने के लिए कहा है।

दिल्ली-एन.सी.आर. में हल्की वर्षा का अनुमान

■ **हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड में बर्फ गिरने से सर्दी बढ़ी।**

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान माइनस के नीचे पहुंच रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगले 48 घंटों में दिल्ली-एनसीआर का मौसम बदलने वाला है। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमामन है।

अभी दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट देखी जा रही है। दिन में धूप रहने के कारण लोगों को थोड़ी ठंड से राहत मिलती है। वहीं, दो दिन बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट आएगी और ठंड भी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को औसत न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर 5 , ब्रैण्डेड पर 12 प्रतिशत जी.एस.टी.

वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जी.एस.टी. काउन्सिल ने 45 वस्तुओं पर टैक्स दर कम की

■ **काउन्सिल ने जीन थैरेपी पर जी.एस.टी. से पूरी छूट देन की सिफारिश की। वाउचर के लेन-देन पर जी.एस.टी. नहीं लगाने की सिफारिश की, क्योंकि यह न तो माल की आपूर्ति है और न सेवाओं की।**

जैसलमेर, 21 दिसम्बर (नि.सं.)। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस से रूबरू होकर बताया कि जी.एस.टी. परिषद की 55 वीं बैठक में तय किया गया है कि अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, लेबल वाले और ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जबकि कैरमल युक्त पॉपकॉर्न को 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में रखा गया है।

उन्होंने बताया कि जी.एस.टी. परिषद ने 1904 के तहत वर्गीकृत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफ.आर.के.) पर जी.एस.टी. दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की। जी.एस.टी. परिषद ने जीन थेरेपी पर भी जीएसटी से पूरी छूट देने की सिफारिश की। मोटर वाहन दुर्घटना निधि के लिए तीसरे पक्ष के मोटर वाहन प्रीमियम से सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा योगदान पर जी.एस.टी. से छूट की सिफारिश की।

जी.एस.टी. परिषद ने वाउचर के लेन-देन पर जी.एस.टी. न लगाने की सिफारिश भी की है, क्योंकि वह न तो माल की आपूर्ति हैं और न ही सेवाओं की आपूर्ति। वाउचर से संबंधित प्रावधानों को भी सरल बनाया जा रहा है। जी.एस.टी. परिषद ने स्पष्ट किया कि ऋण शर्तों का पालन न करने पर बैंकों और एन.बी.एफ.सी. द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए और वसूले गए दंडात्मक शुल्क पर कोई जी.एस.टी. देय नहीं है।

जी.एस.टी. परिषद ने केवल जुर्माना राशि से संबंधित पारित आदेश के संबंध में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा राशि के भुगतान में कमी की सिफारिश की, उन्होंने बताया कि जी.एस.टी. दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) ने अपनी रिपोर्ट पेश करने को स्थगित कर दिया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि रिपोर्ट में 148 वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव की सिफारिश की गई है। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री (जो वित्त मंत्री का जिम्मा भी संभालते हैं) के साथ-साथ, कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए।

वित्त मंत्री ने बताया कि जब किसान काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई करेंगे तो उसपर जीएसटी नहीं लगेगी।

जी.एस.टी. काउंसिल ने 45 वस्तुओं पर टैक्स दरों में कमी की घोषणा की है, जिससे जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। नवीन चिकित्सा पद्धितयों को बढ़ावा देने के लिए जीन थैरेपी पर जीएसटी पूरी तरह से माफ कर दी गई है। एटॉमिक ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षण से संबंधित उपकरणों पर जीएसटी में पूर्ण छूट प्रदान की गई है। मुफ्त वितरण के लिए तैयार किए जाने वाले खाद्य उत्पादों पर जीएसटी दरों को घटाया गया है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908